



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रतीधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 272]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 29, 1977/आसाधा 8, 1899

No. 272]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 29, 1977/ASADHA 8, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 29th June, 1977

S.O. 501(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely,

1. This Order may be called the Imports (Control) Third Amendment Order, 1977
2. In the Imports (Control) Order, 1955—

Sub-clause 11(2)(f) shall be amended to read as under:—

“(f) artist's materials, namely, water colour tubes, canvas, brushes (made of hog or sable hair) and palette knives, by any individual for his personal use, provided the c.i.f. value of such goods imported at any one time shall not exceed six hundred rupees”

[No. 13/77]

A S GILL,

Chief Controller of Imports and Exports

वाणिज्य विभाग

आदेश

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 29 जून, 1977

का०आ० 501(अ).—निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा आयात (नियंत्रण) आदेश 1955, में और आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है,

- (1) इस आदेश को आयात (नियंत्रण) तृतीय संशोधन आदेश 1977 की संज्ञा दी जाए।
- (2) आयात (नियंत्रण) आदेश 1965 की उपधारा 11(2)(एफ) को संशोधित कर निम्न प्रकार से पढ़ा जाए—

“(एफ) चित्रकारों की सामग्री अर्थात् पानी के रंग की ट्यूब, केनवास, ब्रश (जो सूअर या काले हिरन के बालों से बना हो) रंगपट्टिका के चाकू, किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, बशर्ते कि किसी भी समय आयात की गई ऐसी वस्तुओं का लागत बीमा भाड़ा मूल्य 600 रु० से अधिक न हो।”

[सं० 13/77]

ए० एस० गिल,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977